वृक्षारोपण के लिए 40,000 करोड़

धरती को हरा भरा बनाने और पौधे लगाने के लिए अब पैसे की कमी नहीं रहेगी। संसद से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) विधेयक पारित होने से 40,000 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि को पौधरोपण के काम पर खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है। इस धनराशि का 90 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलेगा। खास बात यह है कि वृक्षारोपण पर खर्च होने वाली इस धनराशि से देशभर में 15 करोड़ श्रम दिवस सृजित होंगे। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड और बिहार जैसे गरीब प्रदेशों को मिलेगा। इससे झारखंड और दिल्ली की भी झोली भरेगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को भी फायदा होगा।

राज्य सभा ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित "क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण विधेयक , 2016" को पारित कर दिया। लोक सभा से पहले ही इस साल मई में इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी थी। इस विधेयक के पारित होने से कैम्पा फंड में पड़ी 40,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के वृक्षारोपण पर खर्च होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र ने सिर्फ दस प्रतिशत राशि ही अपने पास रखी है , जिसका इस्तेमाल निगरानी तंत्र तथा अन्य उपायों के लिए किया जाएगा। इसमें से उत्तर प्रदेश में 1314 करोड़ रुपये तथा उत्तराखंड में 2210 करोड़ रुपये खर्च हो सकेंगे। वहीं बिहार के हिस्से में 425 करोड़ रुपये तथा दिल्ली के हिस्से में 95 करोड़ रुपये आएंगे। झारखंड को 3099 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि मिलेगी। इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश को 1395 करोड़, पंजाब को 785 करोड़, हरियाणा को 921 करोड़ और जम्मू-कश्मीर को 926 करोड़ रुपये मिलेंगे। वृक्षारोपण पर जो धनराशि खर्च होगी , उससे देश में 15 करोड़ श्रम दिवस सृजित होंगे। यह रोजगार देश के आदिवासी बहुल और पिछड़े क्षेत्रों में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 की धारा 3 (3) के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) बनाया था, लेकिन यह चालू नहीं हो सका।

तत्कालीन संप्रग सरकार ने इसे मूर्तरूप देने के लिए 2008 में लोकसभा में कैम्पा विधेयक पेश किया और सदन ने 23 दिसंबर 2008 में इसे पारित भी कर दिया। लेकिन राज्य सभा में इस पर चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए 14वीं लोक सभा भंग होने के कारण यह विधेयक खत्म हो गया। इसके बाद से अब जाकर यह विधेयक संसद से पारित हो सका है।

दैनिक जागरण (देहरादून),30 July 2016